M.D.M 420/16

संख्याः 1400/79–6–2016–304/2010

प्रेषक,

अमिताभ त्रिपाठी,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

शिक्षा अनुभाग–6 लखनऊः दिनांकः 26 दिसम्बर, 2016

विषयः मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत कुक कम हेल्पर के मानदेय मद में सूखाग्रस्त जनपदों हेतु वित्तीय स्वीकृतियों की तृतीय किश्त।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण के पत्रांक–म0भो0प्रा0/1790/2016–17 दिनांक 16.09.2016 के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत कुक कम हेल्पर को रू0 1000/–प्रतिमाह प्रति रसोइया की दर पर मानदेय के रूप में भुगतान किया जाना निर्धारित किया गया है, जिसमें परिवर्तित फंण्डिग पैटर्न के अनुसार केन्द्रीय सहायता रू0–600/–एवं राज्यांश रू0–400/–प्रति रसोइया होगा। अतएव भारत सरकार द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष रू0–600/– प्रति रसोइया की दर पर जनपदों द्वारा उपलब्ध करायी गई संख्या के आधार पर केन्द्रांश के रूप में रू0–490.13 लाख (रू0 चार करोड़ नब्बे लाख तेरह हजार मात्र) तथा राज्यांश के रूप में रू0–326.73 लाख (रूपया तीन करोड छब्बीस लाख तिहत्तर हजार मात्र) अर्थात कुल रू0–816.86 लाख (रूपया आठ करोड़ सोलह लाख छियासी हजार मात्र) की धनराशि संलग्न विवरण के अनुसार अवमुक्त किए जाने पर श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति इस शर्त के अधीन प्रदान करते हैं कि उक्त धनराशि का व्यय कुक कम हेल्पर को निर्धारित दर से मानदेय अथवा वास्तव में भुगतान किए गये मानदेय जो भी कम हो, तक सीमित रखा जायेगा।

2– उक्त धनराशि के लेखों के रखरखाव की समस्त कार्यवाही जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित करायी जायेगी तथा तीन–तीन माह के अन्तराल में व्यय विवरण/उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशक मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण को उपलब्ध कराये जायेगें।

3– जनपदों द्वारा उक्त मद में प्राप्त वित्तीय स्वीकृति को ग्राम पंचायत के कार्यदायी संस्था होने की स्थिति में मध्यान्ह भोजन निधि से उपलब्ध कराया जायेगा जबकि एन0जी0ओ0, वार्ड समिति, महिला समाख्या आदि द्वारा योजना के संचालन की स्थिति में संबंधित कार्यदायी संस्था को इस प्रयोजन हेतु खोले गये खातों में उपलब्ध कराया जायेगा।

4– मध्यान्ह भोजन निधि तथा कार्यदायी संस्था के बैक खाते से कुक कम हेल्पर को मानदेय का भुगतान चेक के माध्यम से किया जायेगा एवं इस हेतु सम्बन्धित कुक कम हेल्पर का बचत खाता बैंक में खुलवाया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

5– उक्त स्वीकृति इस शर्त के साथ निर्गत की जा रही है कि निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उ0प्र0 लखनऊ सूखाग्रस्त क्षेत्रों में टीम भेजकर सूची में दिये गये क्षेत्रों का सत्यापन करायेंगे।

CFO
26.12.16
श्री संगारी
26.12.16

—2/.

budget. RP 2016

6– उक्त मद में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–71 के अधीन लेखा शीर्षक '2202–सामान्य शिक्षा–01–प्रारम्भिक शिक्षा आयोजनागत–112–विद्यालयों में मध्याह्न भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम–01–केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र द्वारा प्रयोजित योजनाएं–0103–कुकिंग लागत आदि (के.60 / रा. 40–के+रा0)–20–सहायता अनुदान सामान्य(गैर वेतन) के नामे डाला जाएगा।

7– यह आदेश वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1 / 2016 / बी0–1–746–231 / 2016 दिनांक 22 मार्च, 2016 के प्रस्तर–2 (21) में प्राविधानित व्यवस्था के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(अमिताभ त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव ।

संख्या–1400(1) / 79–6–2016–304 / 2010 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार,उ0प्र0, इलाहाबाद ।
2– निदेशक,मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण उ0प्र0।
2– श्रम आयुक्त कानपुर ।
4– निदेशक, कोषागार उ0प्र0,लखनऊ।
5– समस्त मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6– वरिष्ठ शोध अधिकारी,शिक्षा विभाग ।
7– नियोजन अनुभाग–4,उ0प्र0 शासन।
8– वित्त ई–11 अनुभाग,उ0प्र0 शासन ।
9– बजट अनुभाग–2,उ0प्र0 शासन ।
10– वित्त नियंत्रक, म0भो0प्रा0 / बेसिक शिक्षा परिषद,उ0प्र0 इलाहाबाद।
11– सम्बन्धित समस्त सहायक बेसिक शिक्षा निदेशक,उ0प्र0।
12– सम्बन्धित समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक / जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,उ0प्र0।
13– सम्बन्धित समस्त वित्त एवं लेखाधिकारी(बेसिक शिक्षा विभाग) उ0प्र0।
14– राज्य परियोजना निदेशक महिला समाख्या,उ0प्र0 लखनऊ।
15– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अमिताभ त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव ।

Enclosure of G O No.

[Mid Day Meal Scheme]

Fund Allocation for Honorarium to Cook-cum-Helpers

FY 2016-17: Grant -71 PLAN

3rd Installment For Drought Affected Districts (in Rs. Lac).

(in Rs. Lac)

Sl. No.	Districts	No. of Cook-cum-Helpers expected to be working in Summer Vacation information given by Districts	Central Share Funds (@ Rs 600/cook/ month) being released as 3rd Installment	State Share Funds (@ Rs 400/cook/ month) being released as 3rd Installment	Total Funds being released as 3rd Installment
1	2	3	5	6	7=5+6
1	01-Agra	38	0.00	0.00	0.00
2	02-Aligarh		0.00	0.00	0.00
3	03-Allahabad	311	1.30	0.87	2.17
4	04-Ambedkar nagar	5035	0.00	0.00	0.00
5	05-Auraiya	750	0.73	0.49	1.22
6	06-Azamgarh		0.00	0.00	0.00
7	07-Badaun		0.00	0.00	0.00
8	08-Baghpat	1685	0.00	0.00	0.00
9	09-Bahraich		0.00	0.00	0.00
10	10-Ballia	1413	0.00	0.00	0.00
11	11-Balrampur	4871	0.00	0.00	0.00
12	12-Banda	5470	45.90	30.60	76.50
13	13-Barabanki	6890	0.00	0.00	0.00
14	14-Bareily		0.00	0.00	0.00
15	15-Basti	6773	28.42	18.94	47.36
16	16-Bhadohi	3129	13.13	8.75	21.88
17	17-Bijnour		0.00	0.00	0.00
18	18-Bulandshahar		0.00	0.00	0.00
19	19-Chandauli	4585	0.00	0.00	0.00
20	20-Chitrakoot	3653	15.33	10.22	25.55
21	21-Amethi	4566	38.32	25.54	63.86
22	22-Deoria	0	0.00	0.00	0.00
23	23-Etah	4414	37.04	24.69	61.73
24	24-Faizabad	462	1.94	1.29	3.23
25	25-Farrukhabad	4661	22.18	14.78	36.96
26	26-Fatehpur	6614	0.00	0.00	0.00
27	27-Firozabad		0.00	0.00	0.00
28	28-G.B. Nagar		0.00	0.00	0.00
29	29-Ghazipur		0.00	0.00	0.00
30	30-Ghaziyabad	0	0.00	0.00	0.00
31	31-Gonda	23	0.26	0.18	0.44
32	32-Gorakhpur	0	0.00	0.00	0.00
33	33-Hameerpur	2870	10.03	6.68	16.71
34	34-Hardoi		0.00	0.00	0.00
35	35-Hathras	2493	11.30	7.53	18.83
36	36-Itawah	3820	0.00	0.00	0.00
37	37-J.P. Nagar		0.00	0.00	0.00
38	38-Jalaun	3863	32.42	21.61	54.03
39	39-Jaunpur	9504	0.00	0.00	0.00
40	40-Jhansi	4273	35.86	23.90	59.76
41	41-Kannauj	4033	16.92	11.28	28.20

Sl. No.	Districts	No. of Cook-cum-Helpers expected to be working in Summer Vacation information given by Districts	Central Share Funds (@ Rs 600/cook/month) being released as 3rd Installment	State Share Funds (@ Rs 400/cook/month) being released as 3rd Installment	Total Funds being released as 3rd Installment
1	2	3	5	6	7=5+6
42	42-Kanpur Dehat	4746	9.95	6.64	16.59
43	43-Kanpur Nagar	153	0.64	0.43	1.07
44	44-Kaas Ganj		0.00	0.00	0.00
45	45-Kaushambi	115	0.00	0.00	0.00
46	46-Kushinagar	0	0.00	0.00	0.00
47	47-Lakhimpur Kheri		0.00	0.00	0.00
48	48-Lalitpur	4197	35.22	23.48	58.70
49	49-Lucknow	75	0.31	0.21	0.52
50	50-Mahoba	2614	21.94	14.62	36.56
51	51-Mahrajganj	0	0.00	0.00	0.00
52	52-Mainpuri	35	0.00	0.00	0.00
53	53-Mathura		0.00	0.00	0.00
54	54-Mau	1038	0.00	0.00	0.00
55	55-Meerut		0.00	0.00	0.00
56	56-Mirzapur	6530	27.40	18.26	45.66
57	57-Moradabad		0.00	0.00	0.00
58	58-Muzaffarnagar		0.00	0.00	0.00
59	59-Pilibhit	297	0.34	0.23	0.57
60	60-Pratapgarh	7412	0.00	0.00	0.00
61	61-Rai Bareily	75	0.31	0.21	0.52
62	62-Rampur	0	0.00	0.00	0.00
63	63-Saharanpur		0.00	0.00	0.00
64	64-Santkabir Nagar	304	2.55	1.70	4.25
65	65-Shahjahanpur	8311	0.00	0.00	0.00
66	66-Shrawasti		0.00	0.00	0.00
67	67-Siddharthnagar	675	2.83	1.89	4.72
68	68-Sitapur		0.00	0.00	0.00
69	69-Sonbhadra	6017	50.49	33.66	84.15
70	70-Sultanpur	768	0.00	0.00	0.00
71	71-Unnao	6450	27.07	18.05	45.12
72	72-Varanasi		0.00	0.00	0.00
73	73-Sambhal		0.00	0.00	0.00
74	74-Hapur		0.00	0.00	0.00
75	75-Shamli		0.00	0.00	0.00
	TOTAL	**146011**	**490.13**	**326.73**	**816.86**

(अमिताभ त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

संख्याः 1400/79-6-2016-304/2010

प्रेषक,

अमिताभ त्रिपाठी,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

शिक्षा अनुभाग-6 लखनऊः दिनांकः 26 दिसम्बर, 2016

विषयः मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत कुक कम हेल्पर के मानदेय मद में सूखाग्रस्त जनपदों हेतु वित्तीय स्वीकृतियों की तृतीय किश्त।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण के पत्रांक-म0भो0प्रा0/1790/2016-17 दिनांक 16.09.2016 के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत कुक कम हेल्पर को रू0 1000/-प्रतिमाह प्रति रसोइया की दर पर मानदेय के रूप में भुगतान किया जाना निर्धारित किया गया है, जिसमें परिवर्तित फंण्डिग पैटर्न के अनुसार केन्द्रीय सहायता रू0-600/-एवं राज्यांश रू0-400/-प्रति रसोइया होगा। अतएव भारत सरकार द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष रू0-600/- प्रति रसोइया की दर पर जनपदों द्वारा उपलब्ध करायी गई संख्या के आधार पर केन्द्रांश के रूप में रू0-490.13 लाख (रू0 चार करोड़ नब्बे लाख तेरह हजार मात्र) तथा राज्यांश के रूप में रू0-326.73 लाख (रूपया तीन करोड छब्बीस लाख तिहत्तर हजार मात्र) अर्थात कुल रू0-816.86 लाख (रूपया आठ करोड़ सोलह लाख छियासी हजार मात्र) की धनराशि संलग्न विवरण के अनुसार अवमुक्त किए जाने पर श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति इस शर्त के अधीन प्रदान करते हैं कि उक्त धनराशि का व्यय कुक कम हेल्पर को निर्धारित दर से मानदेय अथवा वास्तव में भुगतान किए गये मानदेय जो भी कम हो, तक सीमित रखा जायेगा।

2- उक्त धनराशि के लेखों के रखरखाव की समस्त कार्यवाही जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित करायी जायेगी तथा तीन-तीन माह के अन्तराल में व्यय विवरण/उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशक मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण को उपलब्ध कराये जायेगें।

3- जनपदों द्वारा उक्त मद में प्राप्त वित्तीय स्वीकृति को ग्राम पंचायत के कार्यदायी संस्था होने की स्थिति में मध्यान्ह भोजन निधि से उपलब्ध कराया जायेगा जबकि एन0जी0ओ0, वार्ड समिति, महिला समाख्या आदि द्वारा योजना के संचालन की स्थिति में संबंधित कार्यदायी संस्था को इस प्रयोजन हेतु खोले गये खातों में उपलब्ध कराया जायेगा।

4- मध्यान्ह भोजन निधि तथा कार्यदायी संस्था के बैक खाते से कुक कम हेल्पर को मानदेय का भुगतान चेक के माध्यम से किया जायेगा एवं इस हेतु सम्बन्धित कुक कम हेल्पर का बचत खाता बैंक में खुलवाया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

5- उक्त स्वीकृति इस शर्त के साथ निर्गत की जा रही है कि निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उ0प्र0 लखनऊ सूखाग्रस्त क्षेत्रों में टीम भेजकर सूची में दिये गये क्षेत्रों का सत्यापन करायेंगे।

--2/.

6– उक्त मद में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–71 के अधीन लेखा शीर्षक '2202–सामान्य शिक्षा–01–प्रारम्भिक शिक्षा आयोजनागत–112–विद्यालयों में मध्याह्न भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा प्रयोजित योजनाएं–0103–कुकिंग लागत आदि (के.60/रा. 40–के+रा0)–20–सहायता अनुदान सामान्य(गैर वेतन) के नामे डाला जाएगा।

7– यह आदेश वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1/2016/बी0–1–746–231/2016 दिनांक 22 मार्च, 2016 के प्रस्तर–2 (21) में प्राविधानित व्यवस्था के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(अमिताभ त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव ।

संख्या–1400(1)/79–6–2016–304/2010 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार,उ0प्र0, इलाहाबाद ।
2– निदेशक,मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण उ0प्र0।
2– श्रम आयुक्त कानपुर ।
4– निदेशक, कोषागार उ0प्र0,लखनऊ।
5– समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6– वरिष्ठ शोध अधिकारी,शिक्षा विभाग ।
7– नियोजन अनुभाग–4,उ0प्र0 शासन।
8– वित्त ई–11 अनुभाग,उ0प्र0 शासन ।
9– बजट अनुभाग–2,उ0प्र0 शासन ।
10– वित्त नियंत्रक, म0भो0प्रा0/बेसिक शिक्षा परिषद,उ0प्र0 इलाहाबाद।
11– सम्बन्धित समस्त सहायक बेसिक शिक्षा निदेशक,उ0प्र0।
12– सम्बन्धित समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,उ0प्र0।
13– सम्बन्धित समस्त वित्त एवं लेखाधिकारी(बेसिक शिक्षा विभाग) उ0प्र0।
14– राज्य परियोजना निदेशक महिला समाख्या,उ0प्र0 लखनऊ।
15– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अमिताभ त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव ।